न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 69/2020, जिला सीकर

1. डॉ. हरिशचन्द्र चेचानी पुत्र श्री सुगनचन्द्र चेचानी, जाति महाजन निवासी वार्ड नम्बर 20, पुलिस लाईन के सामने, सीकर तहसील व जिला सीकर।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. कमला पुत्री घीसा (मृतक)
1/1.नरसी पुत्र गणपत
2. सीताराम पुत्र रामू
3. श्यामलाल पुत्र सुरजा
4. मोहरी पत्नी सुरजा

समस्त जाति कहार निवासी तालाब की ढाणी तन रैवास, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।

—रेस्पॉडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 76 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्ध आज्ञा अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर दिनांक 31.12.2019 जिसमें तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.07.2014 को यथावत रखा गया।

उपस्थित—
1. वकील अपीलान्ट ज्ञानेश्वर बाढदार ।
2. वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1/1 उमेश पुरोहित

निर्णय

दिनांक —28.06.2023

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर के निर्णय दिनांक 28.02.2020 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि ग्राम रैवासा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के तन में भूमि खसरा नम्बर 159/3234 रकबा 1.16 हैक्टर अवस्थित है। जिसका पुराना खसरा नम्बर 210 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा था, जिसकी खातेदारी सम्वत 2027 से 2030 तक घीसा पुत्र कालू जाति कहार निवासी तालाब की ढाणी तन रैवासा के नाम से थी। घीसा की मृत्यु होने पर ग्राम पंचायत रैवासा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 756 विरासत बाबत दिनांक 25.07.1972 को मृतक घीसा के वारिस रामू व सुरजा के बहिस्सा बराबर कर दिया गया, जिन्होने बाद में उक्त भूमि सम्पूर्ण विक्रय कर दी और वर्तमान में खातेदारी विक्रय पत्र के जरिये क्रेता अपीलान्ट डॉ0 हरिशचन्द्र चेचानी के नाम से नामान्तरकरण संख्या 755 दिनांक 08.01.2008 के जरिये हुई है। तत्पश्चात वर्ष 2013 में नामान्तरकरण संख्या 756 दिनांक 25.07.1972 के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कमला ने उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ में अपील प्रस्तुत की, जिस पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ द्वारा निर्णय दिनांक 31.01.2014 के जरिये अपील स्वीकार कर पत्रावली अधिनस्थ तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की कि मृतक घीसा के विधि वारिसान बाबत पुनः जांच कर नामान्तरकरण का पुनः निस्तारण करें। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार दांतारामगढजिला सीकर ने पुनः जांच कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कमला को मृतक घीसा के 1/3 हिस्से की पुत्री वारिस मानकर नामान्तरकरण भरने का निर्णय जैर अपील पारित कर दिया। न्यायालय तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर द्वारा पारित निर्णयदिनांक 07.07.2014 में अंकित किया गया है कि नामान्तरकरण संख्या 756 ग्राम रैवासा को उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढजिला सीकर द्वारा निरस्त किया जा चुका है। अपीलार्थीनी द्वारा प्रस्तुत

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

साक्ष्य सबूत व शपथ–पत्र व पटवारी रिपोर्ट में अंकित सजरा तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानानुसार मृतक घीसा के विधिक वारिसान के नाम मुताबिक वारिसों के कमला पुत्री स्व. घीसा हिस्सा 1/3, सीताराम पुत्र स्व. रामू, घीसी, विमला पुत्रियों स्व0 रामू हि.ब.हि0 1/3,श्यामलाल पुत्र स्व0 सुरजा, मोहरी पत्नी स्व0 सुरजा, नेमीचन्द, शंकर पुत्रान स्व0 सुरजा भागोती पुत्री स्व0 सुरजा हि.ब.हि0 1/3 के नाम नामान्तरकरण दर्ज कर नियमानुसार फैसल करने के आदेश पारित किये गये। जिससे व्यथित होकर डॉ0 हरिशचन्द्र चेचानी पुत्र श्री सुगनचन्द्र चेचानी द्वारा अति. जिला कलक्टर सीकर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है। अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर ने निर्णय दिनांक 31.12.2019 के द्वारा अपील अपीलांट खारिज करने के आदेश पारित किये गये हैं।

3. जिला कलक्टर, सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 31.12.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट डॉ0 हरिशचन्द्र चेचानी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर दिनांक 31.12.2019 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । बहस के दौरान रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 की ओर से कोई हाजिर नहीं आये । उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि यह कि अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील यह कहते हुये प्रस्तुत की थी कि ग्राम रैवासा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के तन में भूमि खसरा नम्बर 1598/3234 रकबा 1.16 हैक्टेयर अवस्थित है। जिसका पुराना खसरा नम्बर 210 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा था जिसकी खातेदारी संवत 2027 से 2030 तक घीसा पुत्र कालू जाति कहार के नाम से थी। घीसा की मृत्यु पर ग्राम पंचायत रैवासा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 756 विरासत बाबत दिनांक 25.07.1972 को मृतक घीसा के वारिस रामू व सुरजा के बहिस्सा बराबर कर दिया गया जिन्होनें बाद में उक्त भूमि सम्पूर्ण विक्रय कर दी और क्रेतागण ने भी और आगे कई बार विक्रय कर दी और वर्तमान में खातेदारी विक्रय पत्र के जरिये क्रेता अपीलान्ट के नाम से नामान्तरकरण संख्या 756 दिनांक 25.07.1972 के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या एक ने उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ में अपील प्रस्तुत की। जिस पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ ने दिनांक 31.01.2014 के जरिये अपील स्वीकार कर पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार दांतारामगढ को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की थी कि मृतक घीसा के विधि वारिसान बाबत पुनः जांच कर नामान्तरकरण का पुनः निस्तारण करें। जिस पर अधिनस्थ तहसीलदार दांतारामगढ ने पुनः जांच कर रेस्पोडेन्ट संख्या एक को मृतक घासी के 1/3 हिस्से की पुत्री वारिस मानकर नामान्तरकरण भरने का निर्णय जैर अपील पारित कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की, जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने उचित नहीं समझते हुये, बिना दस्तावेजी का गौर किये दिनांक 31.12.2019 को अपीलाधीन निर्णय पारित कर अपीलान्ट की अपील खारिज फरमा दी। योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 6 के प्रावधानों की पूर्णतया अनदेखी कर मृतक घीसा के दो पुत्र रामू व सुरजा व तीसरी पुत्री कमला रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम बराबर बराबर 1/3 हिस्सा का नामान्तरकरण भरने का गलत आदेश पारित किया है। जबकि विधि के प्रावधानों के अनुसार पुत्री सहदायी नहीं है। 2005 से पूर्व उसे पुत्रों के बराबर काश्तकारी अधिनियम में बराबर का हिस्सा लेने के प्रावधान नहीं थे। 2005 के पश्चात उसे पुत्रों के बराबर अधिकार प्राप्त हुए हैं। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम का संशोधित विधेयक भूतलक्षी नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने घीसा के मृतक पुत्र रामू के अपने निर्णय में तीन वारिस होने का उल्लेख किया है। इससे केवल एक को पक्षकार बनाया है और पुत्र सुरजा मृतक के पांच वारिस बताये हैं। जिनमें से एक श्यामलाल व पत्नी मोहरी को ही पक्षकार बनाया है। शेष वारिसान को पक्षकार बनाये बगैर निर्णय पारित किया है। आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार संस्थित किये बिना निर्णय पारित करना अवैध निर्णय की श्रेणी में आता है। सन्

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

2008 में प्रश्नगत भूमि की जमाबन्दी में अपीलान्ट का नाम खातेदार के रूप में दर्ज है, लेकिन उन्हें पक्षकार बनाये बगैर व उन्हें सुनवायी का अवसर दिये बिना गलत निर्णय पारित किया है। इस निर्णय से अपीलान्ट के हित प्रभावित होते हैं। इसलिए उसे नहीं सुनना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के पूर्णतया विपरीत है। नामान्तरकरण संख्या 756 का निर्णय दिनांक 25.07.1972 को किया गया है। इन 42 वर्षों की अवधि में अपील नहीं की गई इसलिये इतने लम्बे अर्से के बाद भूमि जब चार बार विक्रय हो गई और भूमि पर काफी पैसा खर्च कर उसमें अपीलान्ट ने जमीन को काफी उपजाए बना लिया और इसके पश्चात लम्बी देरी के बाद उक्त अपील का निर्णय पारित कर गलत निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकार्ड में 8.1.2008 को ही आ चुका था तो उन्हें पक्षकार भी अपील में एवं तहसीलदार के न्यायालय में नहीं बनाया तथा तहसीलदार जी ने एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर ने भी इस कानूनी बिन्दू को नजरअन्दाज किया है। कमला द्वारा जो आपत्ति सन् 1972 के विरासत के विरूद्ध 2013 में करीब 40 साल से भी अधिक समय पश्चात की है जिससे यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि उसकी विरासत किस प्रकार है न ही विरासत की कोई वैधानिक जांच की केवल शपथ पत्र सजरे पर निर्णय दिया है जो गलत है। ऐसे विरासत के मामले जरिये वाद ही निर्धारित हो सकते हैं। जिसको दोनो अधिनस्थ न्यायालय ने नहीं देखा है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर निर्णय दिनांक 31.12.2019 एवं न्यायालय तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.07.2014 को खारिज फरमाया जावे।

6. रेस्पोडेन्ट नं. 1/1 के अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से अपील का समर्थन करते हुये लिखित राजीनामा के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि उपरोक्त उनवानी अपील भूमि खसरा नम्बर 159/32–34 रकबा 1.16 हैक्टर पुराना खसरा नम्बर 210 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा तन ग्राम रैवासा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर जिसका पुराना खातेदार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कमला (मृत) के पिता घीसा की विरासत के बाबत प्रश्नगत है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 की माता कमला ने लोगों के दबाव में आकर पूर्व में अपील प्रस्तुत कर दी थी। उसी से संबंधित यह अपील है। मेरी माता कमला देवी का इस भूमि में संबंध सरोकार नहीं था ना ही मेरा कोई संबंध सरोकार है। इसलिए हमने राजीनामा कर लिया है और राजीनामा के मुताबिक अपील अपीलांट स्वीकार कर ली जावे। मुझे अपील स्वीकार करने में कोई एतराज नहीं है। अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजीनामा के मुताबिक अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे।

7. प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि मुख्य विवाद वस्तुतः वाद में आराजी विवादित भूमि ख.नं. 159/3234 रकबा 1.16 हैक्टर का है। जिसका पुराना खसरा नम्बर 210 रकबा 4 बीघा 12 बीस्वा था। जिसकी खातेदारी सम्वत 2027 से 2030 तक घीसा पुत्र कालू जाति कहार निवासी तालाब की ढाणी तन रैवासा के नाम से थी। घीसा की मृत्यु पर ग्राम पंचायत रैवासा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 756 विरासत बाबत दिनांक 25.07.1972 को मृतक घीसा के वारिस रामू व सुरजा के बहिस्सा बराबर कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर रेस्पोडेन्ट नं. 1 कमला पुत्री घीसा ने उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ में अपील प्रस्तुत की, जिस पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर ने निर्णय दिनांक 31.01.2014 के जरिये अपील स्वीकार की, कि मृतक घीसा के विधिक वारिसान बाबत पुनः जांच कर नामान्तरकरण का पुनः निस्तारण करें। जिस पर न्यायालय तहसीलदार दांतारामगढ ने पुनः जांच कर अपीलार्थीनी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूत व शपथ–पत्र व पटवारी रिपोर्ट में अंकित सजरा तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानानुसार मृतक घीसा के विधिक वारिसान के नाम मुताबिक वारिसों के कमला पुत्री स्व. घीसा हिस्सा 1/3, सीताराम पुत्र स्व. रामू, घीसी, विमला पुत्रियों स्व0 रामू हि.ब.हि0 1/3,श्यामलाल पुत्र स्व0 सुरजा, मोहरी पत्नी स्व0 सुरजा, नेमीचन्द, शंकर पुत्रान स्व0 सुरजा भागोती पुत्री स्व0 सुरजा हि.ब.हि0 1/3 के नाम नामान्तरकरण

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

दर्ज कर नियमानुसार फैसल करने के आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट डॉ0 हरिशचन्द्र चेचानी, भूमि क्रेता ने जिसने उक्त भूमि मृतक घीसा के वारिस रामू व सुरजा से क्रय की थी, अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर के अपील कर थी। उक्त अपील अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर ने निर्णय दिनांक 31.12.2019 द्वारा अपील सारहीन व आधारहीन होने से खारिज कर दी थी। यह स्वीकृत तथ्य है कि जमाबंदी संवत 2027 से 2030 में सम्पूर्ण आराजी मृतक घीसा पुत्र कालू जाति कहार निवासी तालाब की ढाणी तन रैवासा के नाम से दर्ज रही है, जिससे साबित है कि आराजी भूमि पक्षकारान की पैतृक भूमि रही है। अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर ने अपने आदेश दिनांक 31.12.2019 में विवेचन किया है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात मे मृतक के वारिसान के अलावा अगर किसी अन्य वारिस का नाम अंकित किया गया है तो इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढद्वारा पारित निर्णय के क्रम में योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट, साक्ष्य सबूत व शपथ–पत्र एवं मृतक के विधिक वारिसान की जांच की जाकर पारित किये गये गये अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार की दखलंदाजी की आवश्यकता न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। अपीलांट को अनुतोष नियमित वाद से ही मिल सकता है। ऐसी स्थिति में कदीमी रिकॉर्डेड खातेदार या उसके प्रति स्थापन को समरी प्रकिया/नामान्तरकरण के माध्यम से नहीं हटाया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार ही हल्का पटवारी की रिपोर्ट, साक्ष्य सबूत व शपथ–पत्र एवं मृतक के विधिक वारिसान की जांच की जाकर पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय में कोई अनियमितता प्रमाणित नहीं होती है। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1/1 नरसी पुत्र गणपत एवं अपीलार्थी डॉ. हरिशचन्द्र चेचानी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि मात्र राजीनामा के आधार पर अधिकार तय नहीं किये जा सकते है। अपीलांट को अनुतोष नियमित वाद से मिल सकता है। साथ ही नामान्तरकरण एक fiscal proceeding हैं, जिसमें अधिकारों का निर्धारण नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर द्वारा विधिक प्रकिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.12.2019 पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नही है। अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर का निर्णय दिनांक 31.12.2019 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/6/23

(असलम शेर खान)
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner